वाटर/सीवर हेतु नये कनेक्शन के लिये आवेदन कैसे करे

एस0ओ0पी

प्रथम चरण—नये वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु आवदेनकर्ता http://e-nagarsewaup.gov.in/onlinepay/ पोर्टल पर पर क्लिक कर के लॉगिन पेज पर जायेंगे आवदेनकर्ता Register बटन पर क्लिक कर के स्वयं को को रजिस्टर कर सकते है और उसके बाद लॉगिन कर वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
पहले से पंजीकृत आवेदनकर्ता अपना लॉगिन के रूप में मोबाईल नम्बर एवं स्वयं के द्वारा बनाये गये पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते है।क

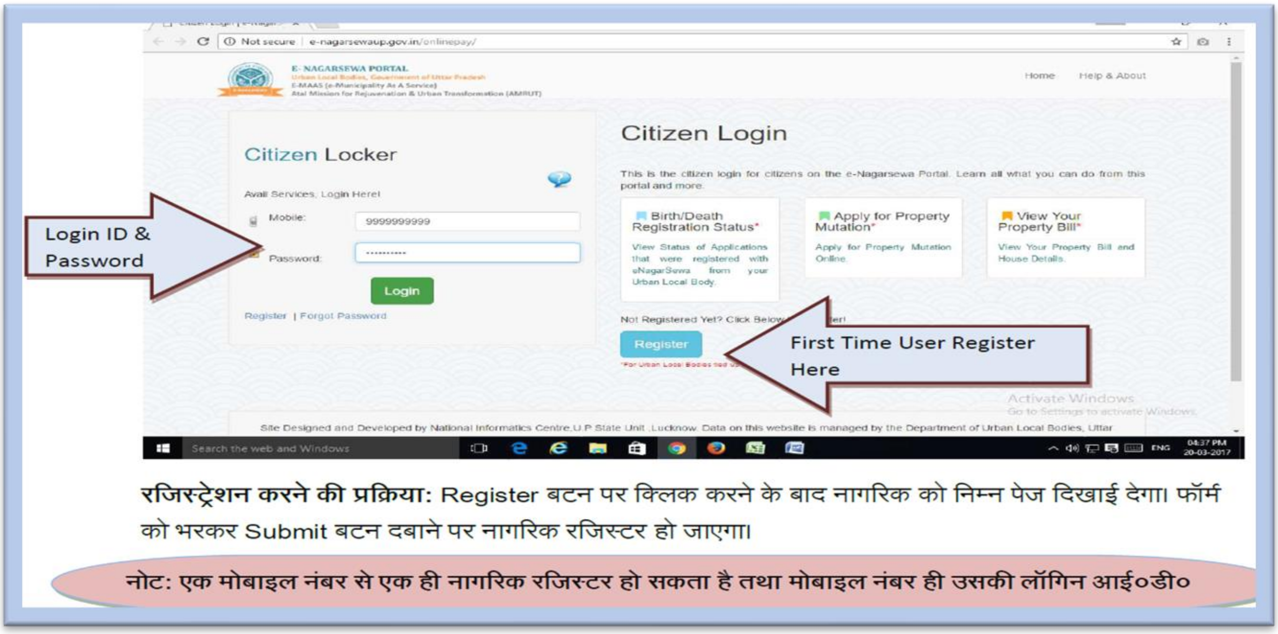

रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदनकर्ता को पेज दिखाई देगा, जिसके पश्चात एक फार्म खुलेगा जिसमें आवेदनकर्ता अपना विवरण भरेंगे।

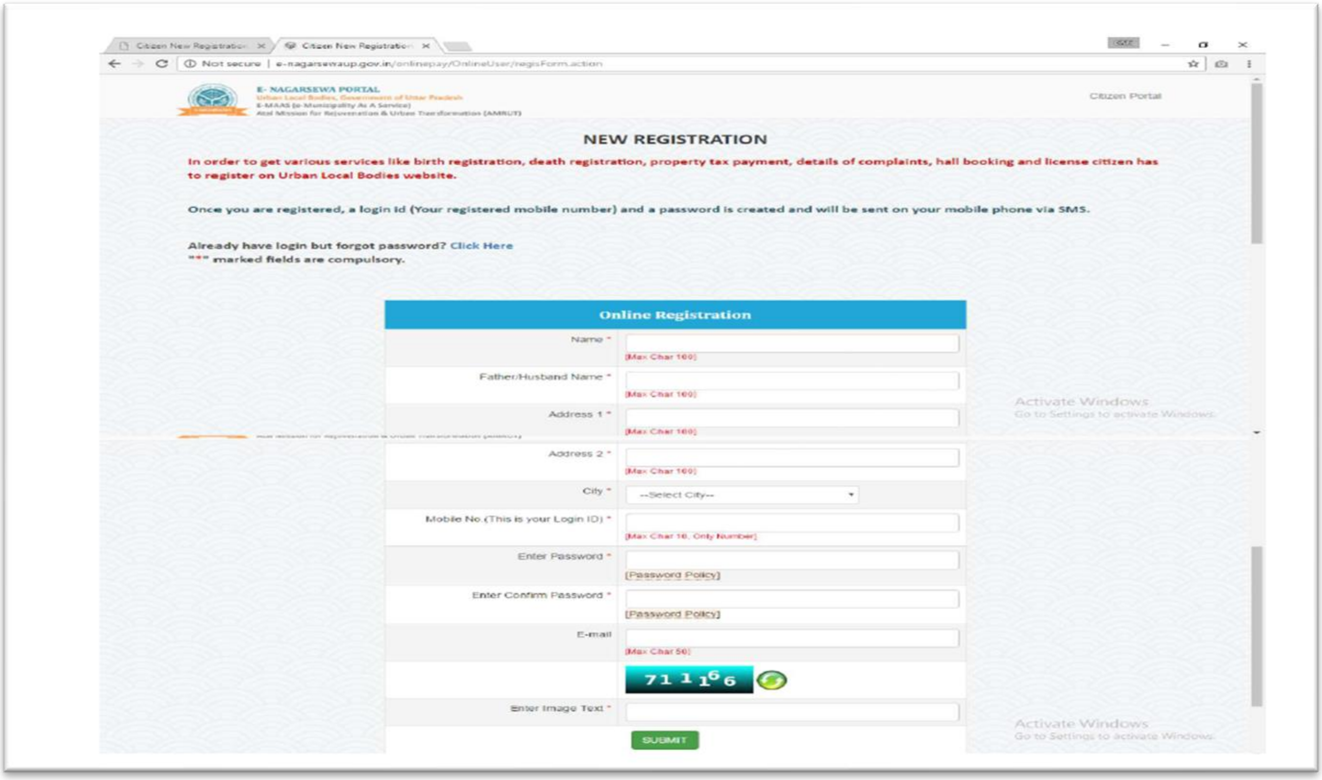

द्वितीय चरणः—आवेदनकर्ता लॉगिन बटन पर क्लिक करके वाटर कनेक्शन पर क्लिक करेंगे जिसके पश्चात POP-UP Window खुलेगी जिसमें वाटर कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया दर्शायी जाती है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर Proceed Button पर क्लिक करना होगा।

तृतीय चरणः—लॉगिन करने के पश्चात् नागरिक को बाएं तरफ Water Connection पर क्लिक करना होगा।

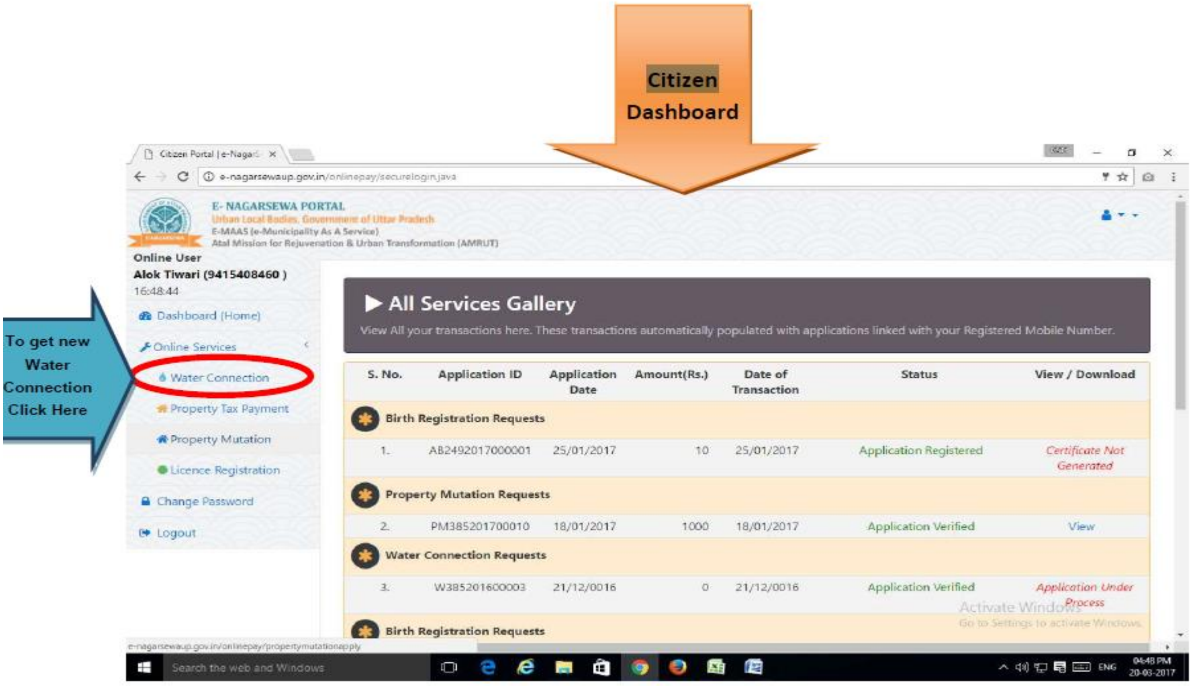

चतुर्थ चरण

इसके पश्चात् वाटर/सीवर कनेक्शन हेतु फार्म खुल जायेगा, जिसमें नागरिक अपनी जानकारी भरकर फार्म में मांगे गये वांक्षित दस्तावेज जैसे आई.डी प्रूफ(वोटर आई.डी/ड्राईविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/पासपोर्ट), प्रापर्टी का दस्तावेज(लीज्ड एग्रीमेन्ट का प्रथम पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ/रेन्ट एग्रीमेंट का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ/रजिस्ट्री का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ का पी.डी.एफ जो 200 KB से अधिक न हो) को अपलोड कर Submit बटन पर क्लिक करना होगा।

नोट— आवेदन प्रक्रिया को जानने हेतु बटन पर क्लिक करके आवेदनकर्ता पुनः Water Connection Application Flow देख सकते है।

पांचवा चरणः—

जिसके उपरान्त विभागीय जांच के संतोषजनक आख्या के उपरान्त यूजर/आवेदनकर्ता के डैशबोर्ड पर ऑनलाईन भुगतान हेतु लिंक जायेगा। आवेदनकर्ता को उस लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा, सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात् समस्त कार्यवाही यूजर के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होगी जिसके लिये यूजर समय—समय पर लॉगिन कर वाटर/सीवर कनेक्शन के संबंध में विभागीय कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकते है।